न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

163

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–रीवा

1. आशा देवी पत्नी श्री संतोष कुमार सिंह निवासी ग्राम करिया कला तहसील बारा जिला – इलाहाबाद (उ.प्र.)
2. दीपक सिंह उर्फ लल्ला पुत्र इन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम बीना कोठार तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. बृजवासी सिंह पुत्र स्व. भोला सिंह
2. कैलाश नाथ सिंह पुत्र स्व. भोला सिंह

दोनों निवासी ग्राम पूराभट्टू तहसील बारा जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1264/III/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

[redacted] निवासी भट्ट का पुरा, विकास खण्ड शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद के पुत्र था, जिसका नाम उत्तर प्रदेश की भूमियों के अभिलेख में चन्द्रशेखरसिंह लिखा है और उसी चन्द्रशेखरसिंह का नाम मध्य प्रदेश के भूमियों के अभिलेखों में भोलाप्रसाद लिखा हुआ है। मृतक भोलाप्रसाद के दो पुत्र बृजवासी सिंह एवं कैलाशनाथ सिंह तथा दो पुत्रियॉ सुखमन्ती एवं आशदेवी थी, जिसमें सुखमन्ती देवी की मृत्यु हो चुका है और जीवित पुत्री आशादेवी है। मृतिका सुखमन्ती देवी का पुत्र दीपकसिंह जो प्रकरण में पक्षकार है। मृतक भोलासिंह की भूमि कमांक 71 रकवा 2.21 एकड़ मौजा कपडौरा, तहसील त्योथर, जिला रीवा में है। मृतक भोलासिंह जायज वारिस आवेदकगण एवं अनावेदकगण हैं, जिनका हक व हिस्सा मृतक भोलसिंह की समस्त जायदाद में बराबर–बराबर भाग है। इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हैं। सरपंच ग्राम पंचायत कपडौरा ने फर्जी तौर से ग्राम पंचायत की सभा आयोजित करके मृतक भोलासिंह की उक्त भूमि कं.71 का वारिसाना नामान्तरण प्रस्ताव कं.1 दिनांक 15.10.06 को मात्र मृतक भोलासिंह के पुत्रों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1192–तीन/14 **जिला –रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ता आदि के हस्ताक्षर
२८.8.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1264–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 19.03.14 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1192–तीन/14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1264–तीन/2009 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 28.03.14 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 1192–तीन/14 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ—नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य